# अध्याय-5

# राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

# अध्याय-5

# राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्‌यम

यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सरकार द्‌वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों और वैधानिक निगमों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा करता है जैसा कि उनके वित्तीय विवरणों (एफएस) से पता चलता है। वर्ष 2022-23 (या पहले के वर्षों, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्‌वारा संचालित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्‌यमों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी की गई प्रमुख टिप्पणियों के प्रभाव की भी चर्चा की गई है।

## 5.1 सरकारी कंपनियों की परिभाषा

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कम से कम 51 *प्रतिशत* प्रदत्त शेयर पूंजी, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास होता है तथा इसमें एक ऐसी कंपनी शामिल होती है जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी होती है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्‌वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्‌वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी[1] को इस अध्याय में सरकार द्‌वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है।

## 5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्‌वारा नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम,1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए विनियमों के अंतर्गत

[1] कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) का सातवाँ आदेश 2014, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्‌वारा दिनांक 04 सितंबर 2014 की राजपत्रित अधिसूचना के अंतर्गत जारी किया गया।

की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नि.म.ले.प. सरकारी कंपनियों के लिए सनदी लेखाकार को बतौर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करता है तथा उन्हें निर्देश देता है कि किस प्रकार वित्तीय विवरणियों को लेखापरीक्षित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, नि.म.ले.प. को सीएजी की वैधानिक लेखापरीक्षा द्वारा इन वित्तीय विवरणों के बाद एक पूरक लेखापरीक्षा के संचालन का अधिकार है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित वैधानिक निगमों के संबंध में, दिल्ली परिवहन निगम को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों के अनुसार उनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा किया जाना आवश्यक है, जबकि दिल्ली वित्तीय निगम के लिए, सीएजी एक पूरक लेखापरीक्षा आयोजित करता है।

## 5.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम तथा राज्य की स.रा.घ.उ. में उनका योगदान

**5.3.1** राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां तथा वैधानिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को जन कल्याण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक रूपी गतिविधियों को संचालित करने के लिए स्थापित किया जाता है तथा ये राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते हैं। 31 मार्च 2023 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, दिल्ली में 18 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिसमें 15 सरकारी कंपनियां, 2 वैधानिक निगम[2] तथा सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कपंनी शामिल थीं। 15 सरकारी कंपनियों में दिल्ली राज्य उद्यम तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की चार निष्क्रिय सहायक कपंनियां शामिल हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों में कोई गतिविधि नहीं की है। कोई भी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (राज्य के पीएसई) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम **परिशिष्ट 5.1** में दिए गए हैं।

**5.3.2** राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के क्षेत्र को दर्शाता है। 31 मार्च 2023 को

[2] दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली वित्तीय निगम

समाप्त तीन वर्षों के लिए रा.रा.क्षे.दि. (एनसीटीडी) के कार्यशील एसपीएसई और स.रा.घ.उ. के कुल टर्नओवर का विवरण **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है:

**तालिका 5.1: एसपीएसई की तुलना में रा.रा.क्षे.दि. के स.रा.घ.उ. के कुल टर्नओवर का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| एसपीएसई के क्षेत्रों के नाम | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| पावर | 4711.71 | 4870.96 | 4,870.96 |
| वित्त | 4.44 | 4.55 | 4.26 |
| सेवाएं | 2533.39 | 1722.61 | 1722.61 |
| अवसंरचना | 1,112.45 | 789.65 | 789.65 |
| परिवहन | 518.08 | 636.54 | 636.54 |
| **कुल टर्नओवर** | **8880.07** | **8024.31** | **8024.02** |
| **दिल्ली का स.रा.घ.उ.** | **76,3435** | **9,04,642** | **10,43,759** |
| **दिल्ली के स.रा.घ.उ. में टर्नओवर की प्रतिशतता** | 1.16 | 0.89 | 0.77 |
| **स.रा.घ.उ. में टर्नओवर की क्षेत्रीय प्रतिशतता** | | | |
| पावर | 0.62 | 0.54 | 0.47 |
| वित्त | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सेवाएं | 0.33 | 0.19 | 0.16 |
| अवसंरचना | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
| परिवहन | 0.07 | 0.07 | 0.06 |

स्रोत: टर्नओवर के आंकड़े एसपीएसई के नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणों के अनुसार लिए गए हैं तथा उनका स.रा.घ.उ. के संबंध में ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से लिए गए हैं।

दिल्ली के स.रा.घ.उ. में एसपीएसई का योगदान 2021-22 में 0.89 *प्रतिशत* से घटकर 2022-23 में 0.77 *प्रतिशत* रह गया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली की स.रा.घ.उ. में पावर क्षेत्र के एसपीएसई का योगदान उच्चतम अर्थात् दिल्ली की स.रा.घ.उ. का 0.62 *प्रतिशत* था। उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि इन एसपीएसई के कुल टर्नओवर में 2020-21 से 2021-22 में 9.64 *प्रतिशत* की कमी देखी गई है तथा उसके बाद इनके नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण के अनुसार 2021-22 से 2022-23 तक लगभग समान रहा। हालांकि, स.रा.घ.उ. में एसपीएसई का योगदान मामूली रहा।

## 5.4 एसपीएसई में निवेश तथा बजटीय सहायता

### 5.4.1 एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग तथा ऋण

31 मार्च 2023 तक क्षेत्र-वार कुल इक्विटी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी योगदान तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण सहित दीर्घकालिक ऋण **(परिशिष्ट 5.2) तालिका 5.2** में दिए गए हैं:

**तालिका 5.2: 31 मार्च 2023 को एसपीएसई में क्षेत्र-वार निवेश**

| एसपीएसई के क्षेत्र का नाम | कुल निवेश (₹ करोड़ में) | | | | | कुल इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों की क्षेत्रवार प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | इक्विटी | | दीर्घकालिक ऋण | | | |
| | कुल | राज्य सरकार | कुल | राज्य सरकार | कुल इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋण | |
| **पॉवर** | 7,506.79 | 7,106.78 | 811.06 | 441.98 | 8,317.85 | 37.36 |
| **वित्त** | 76.60 | 64.60 | 101.24 | 101.24 | 177.84 | 0.80 |
| **सेवाएं** | 25.06 | 24.03 | 52.20 | 52.14 | 77.26 | 0.35 |
| **अवसंरचना** | 21.00 | 21.00 | 0 | 0 | 21.00 | 0.09 |
| **परिवहन** | 1,994.50 | 1,994.50 | 11,676.14 | 11,676.14 | 13,670.64 | 61.40 |
| **कुल** | **9,623.95** | **9,210.91** | **12,640.64** | **12,271.50** | **22,264.59** | **100** |

स्रोतः नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण तथा एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत जानकारी (दीर्घकालिक ऋणों में रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण की वर्तमान मेच्युरिटी शामिल है।)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि एसपीएसई में सबसे अधिक निवेश मुख्य रूप से परिवहन तथा पावर क्षेत्र में किया गया, जिन्होंने ₹ 22,264.59 करोड़ के कुल निवेश का क्रमशः 61.40 *प्रतिशत* तथा 37.36 *प्रतिशत* प्राप्त किया। परिवहन क्षेत्र के अतंर्गत एक वैधानिक निगम, दिल्ली परिवहन निगम ने कुल निवेश का 99.92 *प्रतिशत* प्राप्त किया।

### 5.4.2 एसपीएसई में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाज़ार पूंजीकरण, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर की बाजार कीमत को दर्शाता है। 31 मार्च 2023 तक, किसी भी सरकारी कंपनी के शेयर भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे।

### 5.4.3 विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, एसपीएसई के विनिवेश/पुनर्गठन/निजीकरण का कोई मामला नहीं था।

## 5.5 एसपीएसई से रिटर्न

### 5.5.1 एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

वर्ष 2022-23 में लाभ अर्जित करने वाली आठ एसपीएसई[3] थीं। लाभार्जित करने वाली एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ 2020-21 के ₹ 1,814.08 करोड़ से 2022-23 में ₹ 1,873.65 करोड़ में मामूली रूप से बढ़ा।

[3] डीएसआईआईडीसी, पीपीसीएल, आईपीजीसीएल, डीटीएल, डीपीसीएल, आईसीएसआईएल, जीडीएल तथा डीटीआईडीसी। एक एसपीएसई (एसआरडीसी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत, एक गैर-लाभकारी कंपनी है।

वर्ष 2022-23 में पाँच अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली एसपीएसई का विवरण **(परिशिष्ट 5.3) तालिका 5.3** में दिया गया है:

**तालिका 5.3: पांच अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली एसपीएसई**

| एसपीएसई का नाम | निवल अर्जित लाभ *(₹ करोड़ में)* | कुल एसपीएसई लाभ पर लाभ की प्रतिशतता *(₹ 1873.65 करोड़ का)* |
|---|---|---|
| डीटीएल | 766.22 | 40.89 |
| पीपीसीएल | 652.47 | 34.82 |
| डीएसआईआईडीसी | 144.68 | 7.72 |
| आईपीजीसीएल | 141.77 | 7.57 |
| डीपीसीएल | 139.64 | 7.46 |
| **कुल** | **1844.78** | **98.46** |

स्रोत: एसपीएसई का नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण

2022-23 के दौरान, ₹ 1,844.78 करोड़ का निवल लाभ जो 8 एसपीएसई के कुल लाभ का 98.46 *प्रतिशत* है उसमें इन पांच एसपीएसई ने योगदान दिया था, जिसमें से डीटीएल का अधिकतम लाभ था।

**तालिका 5.4: एसपीएसई का निवल लाभ से टर्नओवर अनुपात**

| क्षेत्र | निवल लाभ *(₹ करोड़ में)* | टर्नओवर *(₹ करोड़ में)* | निवल लाभ और टर्नओवर अनुपात *(प्रतिशत में)* |
|---|---|---|---|
| पॉवर | 1,700.10 | 4,870.96 | 34.90 |
| वित्त | (-)27.72 | 4.26 | -- |
| सेवाएं | 2.91 | 1722.61 | 0.17 |
| अवसंरचना | 144.68 | 789.65 | 18.32 |
| परिवहन | (-)8,477.56 | 636.54 | -- |
| **कुल** | **(-)6,657.59** | **8,024.02** | -- |

स्रोत: एसपीएसई का नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2022-23 में पॉवर क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र में निवल लाभ की तुलना में टर्नओवर अनुपात क्रमशः अधिकतम (34.90 *प्रतिशत*) तथा न्यूनतम (0.17 *प्रतिशत)* था। इसके अतिरिक्त, परिवहन क्षेत्र में, वर्ष 2022-23 में टर्नओवर में निवल हानि 1,331.82 *प्रतिशत* हो गई।

## 5.5.2 एसपीएसई द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

रा.रा.क्षे.दि.स. ने लाभांश नीति बनाई थी (17 अगस्त 2021), जिसके अंतर्गत एसपीएसई को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत लाभांश के अधीन कर के बाद लाभ का 30 *प्रतिशत* या निवल मूल्य का 5 *प्रतिशत,* जो भी

अधिक हो का न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना आवश्यक था। एसपीएसई द्वारा घोषित/भुगतान किया हुआ लाभांश **तालिका 5.5** में दर्शाया गया है।

**तालिका 5.5: एसपीएसई द्वारा घोषित लाभांश**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | विवरण | एसपीएसई की संख्या जिन्होंने लाभांश घोषित किया | प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में) | निवल लाभ (₹ करोड़ में) | घोषित लाभांश (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | पॉवर | -- | -- | -- | -- |
| | वित्त | -- | -- | -- | -- |
| | सेवाएं | 2[4] | 25.07 | 2.91 | 0.84 |
| | अवसंरचना | 1[5] | 21.00 | 144.68 | 60.08 |
| | परिवहन | -- | -- | -- | -- |

स्रोत: एसपीएसई का नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, आठ एसपीएसई में से, जिन्होंने नवीनतम अंतिम विवरण के अनुसार लाभ अर्जित किया, केवल तीन एसपीएसई ने लाभांश घोषित/भुगतान किया था। अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली पांच एसपीएसई में से केवल डीएसआईआईडीसी ने वर्ष 2022-23 में लाभांश घोषित किया तथा अन्य चार एसपीएसई जिन्होंने ₹ 1,700.10 करोड़ का लाभ अर्जित किया, ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

## 5.6 ऋण सर्विसिंग

### 5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने में किया जाता है तथा इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज व्ययों द्वारा ब्याज और करों (ईबीआईटी) से पहले कंपनी की आय को विभाजित करके की जाती है। जितना अनुपात कम होगा, उतना ही कंपनी के ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी अपनी ब्याज देयता का भुगतान करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। ब्याज देयता वाले एसपीएसई में ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण **तालिका 5.6** में दिया गया है:

[4] जीएसडीएल और आईसीएसआईएल

[5] डीएसआईआईडीसी

**तालिका 5.6: एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात**

| वर्ष | ब्याज देयता (₹ करोड़ में) | ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में) | सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ब्याज देयता वाली एसपीएसई की संख्या | एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या | एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 7,474.05 | 1,926.05 | 6 | 3 | 3 |
| 2021-22 | 8,663.58 | 2,106.11 | 6 | 3 | 3 |
| 2022-23 | 8,663.58 | 2,101.65 | 6 | 3 | 3 |

स्रोत*:* एसपीएसई का नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण

यह देखा गया कि 2022-23 के दौरान तीन एसपीएसई[6] का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था, लेकिन अन्य तीन[7] एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था। इस प्रकार, ये तीन एसपीएसई अपनी ब्याज देयता पूरा करने के लिए भी पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पा रही थीं।

## 5.7 एसपीएसई का वित्तीय निष्पादन

### 5.7.1 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) एक अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता तथा क्षमता को मापता है जिस पर इसकी पूंजी नियोजित की जाती है। आरओसीई की गणना, ब्याज तथा कर से पूर्व आय (इबीआईटी) को नियोजित पूंजी[8] से विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान 13 एसपीएसई जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश किया था, का आरओसीई विवरण **परिशिष्ट 5.3** में दिया गया है तथा **तालिका 5.7** में सारांशित किया गया है:

**तालिका 5.7: नियोजित पूंजी पर रिटर्न**

| वर्ष | ईबीआईटी (₹ करोड़ में) | नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में) | आरओसीई (*प्रतिशत में*) |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | 2574.58 | 16596.04 | 15.51 |
| 2021-22 | 2567.63 | 17235.98 | 14.90 |
| 2022-23 | 2563.17 | 17218.84 | 14.89 |

स्रोत*:* एसपीएसई का नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण

---

6 डीटीएल, पीपीसीएल और आईपीजीसीएल

7 डीटीसी, डीएससीएफडीसी और डीएफसी

8 नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त आरक्षित निधि और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आरओसीईई वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान 15.51 *प्रतिशत* से घटकर 14.89 *प्रतिशत* हो गई। उपर्युक्त आरओसीईई डीटीसी को छोड़कर 12 एसपीएसई का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि डीटीसी की नियोजित पूंजी सभी तीन वर्षों में ऋणात्मक थी जो ₹ 38,582.69 करोड़ से ₹ 47,081.04 करोड़ के बीच थी। इसके अलावा, उपर्युक्त अवधि के दौरान डीटीसी की ईबीआईटी (-) ₹ 108.33 करोड़ से (-) ₹ 163.90 करोड़ रही।

### 5.7.2 एसपीएसई द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) वित्तीय निष्पादन, लाभ अर्जन के लिए कंपनी की संपत्ति को कितना प्रभावकारी तरीके से उपयोग किया जा रहा है, इसके आकलन के लिए एक मापक है। आरओई की गणना निवल आय (अर्थात् करों के पश्चात निवल लाभ) को शेयरधारकों की निधि[9] से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है तथा किसी भी कंपनी के लिए आकलन किया जा सकता है, यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्या हों।

शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि यदि सभी संपत्ति बेच दी जाए तथा ऋण चुका दिए जाएं तो कंपनी के शेयरधारकों के लिए कितनी निधि बचेगी। एक धनात्मक शेयरधारक की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, जबकि ऋणात्मक शेयरधारक निधि का अर्थ है कि देयताएं संपत्ति से अधिक हैं।

रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के साथ 13 एसपीएसई से संबंधित कुल निवल आय तथा शेयरधारकों की निधि का विवरण **परिशिष्ट 5.3** में दिया गया है तथा **तालिका 5.8** में सारांशित किया गया है:

[9] शेयरधारकों की निधि = प्रदत्त पूंजी + मुक्त आरक्षित निधि - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय

**तालिका 5.8: एसपीएसई से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न जहां रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निधि लगाई गई**

| वर्ष | कुल निवल आय<br>*(₹ करोड़ में)* | शेयरधारकों की निधि<br>*(₹ करोड़ में)* | आरओई<br>*(प्रतिशत में)* |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | (-) 5,537.79 | (-) 35,274.30 | - |
| 2021-22 | (-) 6,658.68 | (-) 43,012.79 | - |
| 2022-23 | (-) 6,663.14 | (-) 43,029.93 | - |

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण

चूंकि वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान निवल आय के साथ-साथ शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी, इसलिए आरओई की गणना नहीं की गई। डीटीसी को हुई भारी हानि के कारण वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक सभी वर्षों के लिए निवल आय, ऋणात्मक थी, जिसने अन्य एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ को समाप्त कर दिया। शेयरधारकों की निधि मुख्यतः डीटीसी की संचित हानि के कारण ऋणात्मक थी, जो नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण के अनुसार ₹ 60,741.03 करोड़ तक बढ़ चुकी थी।

### 5.7.3 निवेश पर रिटर्न

निवेश पर रिटर्न, कुल निवेश पर लाभ या हानि की प्रतिशतता है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने 18 एसपीएसई में से केवल 13 एसपीएसई में इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में धनराशि लगाई है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने शेष पांच[10] एसपीएसई में कोई प्रत्यक्ष धनराशि नहीं लगाई।

### 5.7.4 सरकारी निवेशों पर वास्तविक रिटर्न की दर (आरओआरआर)

31 मार्च 2023 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में, निवेश की विगत लागत को वर्तमान मूल्य (पीवी) पर लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एसपीएसई में लगाए गए पिछले निवेश/वर्ष-वार धनराशि को, सरकारी उधारों पर वर्ष-वार औसत ब्याज दर पर संयोजित किया गया है जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार के लिए धनराशि की न्यूनतम लागत के रूप में माना जाता है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई, जहां राज्य सरकार द्वारा इन कंपनियों के प्रारंभ से 31 मार्च 2023 तक परिचालन

[10] डीईएल, डीसीएडी, डीएमएसएल तथा डीएलएल डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनियां जिसने अपनी पूंजी में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, आईसीएसआईएल के मामले में, डीएसआईआईडीसी, टीसीआईएल तथा अन्य दो कंपनियों द्वारा पूंजी का योगदान किया गया।

और प्रबंधन व्यय के लिए इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण, अनुदान/सब्सिडी, यदि कोई हो (विनिवेश को छोड़कर), इन के रूप में धनराशि लगाई गई थी।

एसपीएसई में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई:

- राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋणों को, निवेश प्रोत्साहन माना गया है क्योंकि एसपीएसई द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की कोई राशि नहीं चुकाई गई है। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में जहां एसपीएसई को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित किया गया था, इस प्रकार इक्विटी में परिवर्तित ऋण राशि को ब्याज मुक्त ऋण राशि में से घटा दिया गया तथा उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[11] के लिए सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया क्योंकि यह वर्ष के लिए निधियों के निवेश के लिए सरकार द्वारा वहन की गई लागत का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न की दर माना गया।
- रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश की आरओआरआर गणना के लिए, 2002-03[12] के प्रारंभ से 2022-23 की अवधि में 13 एसपीएसई में 31 मार्च 2002 तक के निवेश को 2002-03 के प्रारंभ में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के वर्तमान मूल्य के रूप में लिया गया।

2002-03 से 31 मार्च 2023 तक 17 एसपीएसई (डीएसआईआईडीसी की चार सहायक कंपनियों सहित) से संबंधित रा.रा.क्षे.दि.स. निवेश की आरओआरआर की समेकित स्थिति **तालिका 5.9** में दर्शाई गई है:

[11] संबंधित वर्ष के रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखों से सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर स्वीकृत की गई।

[12] एसपीएसई से प्राप्त सूचना के अनुसार

## तालिका 5.9: वर्ष 2002-03 से 2022-23 तक रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेश तथा सरकारी निधियों पर आरओआरआर का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष | वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा लगाई गई इक्विटी | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण | परिचालन और प्रशासन के व्यय के लिए अनुदान तथा सब्सिडी | वर्ष के दौरान कुल निवेश | वर्ष के अंत तक कुल निवेश | सरकारी उधारी पर औसत ब्याज दर प्रतिशत में | वर्ष के अंत तक कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के लिए निधियों की लागत की पूर्ति के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न | वर्ष के दौरान कुल अर्जन/ हानि (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi=iii +iv +v | vii=ii +vi | viii | ix={vii* (1+viii)/100} | x={viii*vii)/ 100} | xi |
| 2002-03 | 183.06[13] | 324.41 | 0.00 | 0.20 | 324.61 | 507.67 | 11.17 | 564.38 | 56.71 | -1,872.94 |
| 2003-04 | 564.38 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 564.58 | 10.65 | 624.70 | 60.13 | -534.27 |
| 2004-05 | 624.70 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 624.90 | 10.34 | 689.52 | 64.62 | -1,375.28 |
| 2005-06 | 689.52 | 0.00 | 0.00 | 130.87 | 130.87 | 820.39 | 8.87 | 893.16 | 72.77 | -1,859.78 |
| 2006-07 | 893.16 | 3.11 | 0.00 | 42.07 | 45.18 | 938.34 | 9.35 | 1,026.07 | 87.73 | -864.09 |
| 2007-08 | 1,026.07 | 4,471.80 | 0.00 | 33.56 | 4,505.36 | 5,531.43 | 9.84 | 6,075.73 | 544.29 | -1,749.46 |
| 2008-09 | 6,075.73 | 715.19 | 0.00 | 19.25 | 734.44 | 6,810.17 | 9.90 | 7,484.37 | 674.21 | -1,672.67 |
| 2009-10 | 7,484.37 | 1,128.25 | 0.00 | 96.25 | 1,224.50 | 8,708.87 | 9.52 | 9,537.96 | 829.08 | -1,788.68 |
| 2010-11 | 9,537.96 | 464.00 | 0.00 | 402.98 | 866.98 | 10,404.94 | 9.10 | 11,351.79 | 946.85 | -1,557.81 |
| 2011-12 | 11,351.79 | 665.48 | 40.00 | 764.59 | 1,470.07 | 12,821.86 | 9.77 | 14,074.55 | 1,252.70 | -1,969.18 |
| 2012-13 | 14,074.55 | 498.55 | 50.00 | 1,310.54 | 1,859.09 | 15,933.64 | 9.73 | 17,483.98 | 1,550.34 | -1,775.75 |
| 2013-14 | 17,483.98 | 745.00 | 1.00 | 1,409.70 | 2,155.70 | 19,639.68 | 9.21 | 21,448.50 | 1,808.81 | -2,034.69 |
| 2014-15 | 21,448.50 | -1.15 | 7.00 | 1,438.75 | 1,444.60 | 22,893.10 | 8.59 | 24,859.62 | 1,966.52 | -942.51 |
| 2015-16 | 24,859.62 | 0.00 | 0.00 | 1,416.93 | 1,416.93 | 26,276.55 | 8.54 | 28,520.56 | 2,244.02 | -2,049.81 |
| 2016-17 | 28,520.56 | 0.00 | 0.00 | 1,792.66 | 1,792.66 | 30,313.22 | 8.65 | 32,935.32 | 2,622.09 | -2,867.88 |
| 2017-18 | 32,935.32 | 0.00 | 0.00 | 2,078.18 | 2,078.18 | 35,013.50 | 8.58 | 38,017.66 | 3,004.16 | -2,895.56 |
| 2018-19 | 38,017.66 | 0.00 | 0.00 | 1,890.95 | 1,890.95 | 39,908.61 | 8.64 | 43,356.71 | 3,448.10 | -3489.59 |
| 2019-20 | 43,356.71 | 4.80 | 0.00 | 2,162.44 | 2,167.24 | 45,523.95 | 8.14 | 49,229.60 | 3,705.65 | -4,175.27 |
| 2020-21 | 49,229.60 | 0.00 | 0.00 | 2,639.68 | 2,639.68 | 51,869.28 | 7.04 | 55,520.88 | 3,651.60 | -3,358.75 |
| 2021-22 | 55,520.87 | 0.00 | 0.00 | 2,472.19 | 2,472.19 | 57,993.06 | 6.50 | 61,762.61 | 3,769.55 | -4,520.55 |
| 2022-23 | 61,762.61 | 0.00 | 0.00 | 2,602.08 | 2,602.08 | 64,364.69 | 6.15 | 68,323.12 | 3,958.43 | -6,657.59 |
| **कुल** | | **9,019.44** | **98.00** | **22,704.27** | **31,821.71** | | | | | |

स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त सूचना तथा संबंधित वर्षों के रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

वर्ष के अंत में, इन 13 एसपीएसई में रा.रा.क्षे.दि.स. का निवेश वर्ष 2002-03 में ₹ 507.67 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 64,364.69 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2023 तक रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 68,323.12 करोड़ था। तालिका से यह देखा जा सकता है कि कंपनियों की कुल अर्जित आय 2002-03 से 2022-23 तक सभी वर्षों में ऋणात्मक रही। यह डीटीसी को लंबे समय से हो रही हानि के कारण थी, जिसने मुख्य रूप से अन्य एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ को नष्ट कर दिया।

---

13 वर्ष 2001-2002 तक 13 एसपीएसई में रा.रा.क्षे.दि.स द्वारा किए गए निवेश का अंतिम शेष

## 5.8 हानि में चल रहे एसपीएसई

### 5.8.1 उठाई गई हानि

मार्च 2023 के अंत में उनके नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार नौ[14] एसपीएसई ऐसी हैं जिन्हें हानि हुई। इन एसपीएसई द्वारा उठाई गई हानि उनके नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹ 7,362.06 करोड़ तथा 2021-22 में ₹ 8,526.78 करोड़ से ₹ 8,531.24 करोड़ तक बढ़ी जैसा कि **तालिका 5.10** में दर्शाया गया है:

**तालिका 5.10: हानि उठाने वाले एसपीएसई का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | एसपीएसई की संख्या जिन्हें हानि हुई | वर्ष में हुई निवल हानि | संचित हानि | निवल मूल्य[15] |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 7[16] | **7,362.06** | (-)52,269.29 | (-)50,213.6 |
| 2021-22 | 9[17] | 8,526.78 | (-)60,527.54 | (-)58,458.57 |
| 2022-23 | 9[18] | 8,531.24 | (-)60,544.69 | (-)58,475.72 |

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान घाटे में चल रहे नौ एसपीएसई द्वारा कुल हानि ₹ 8,531.24 करोड़ में से ₹ 8,498.35 करोड़ (99.61 *प्रतिशत*) हानि में केवल दिल्ली परिवहन निगम का योगदान था।

### 5.8.2 एसपीएसई में पूंजी का अपक्षरण

31 मार्च 2023 तक, पांच एसपीएसई[19] ऐसे थे जिनका निवल मूल्य समाप्त हो चुका है। इन पांच एसपीएसई में से तीन एसपीएसई जैसे डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी मेंटेनेंस लिमिटेड तथा डीएसआईआईडीसी क्रिएटिव आर्ट्स लिमिटेड, जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया, निष्क्रिय हैं।

---

14 एसआरडीसी ने 2020-21 में कोई लाभ/हानि अर्जित नहीं किया, अतः इसे हानि उठाने वाली एसपीएसई में नहीं माना गया।

15 निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त पूंजी और मुक्त रिज़र्व और अधिशेष से संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय घटाकर मिलने वाला कुल योग। मुक्त रिज़र्व का अर्थ है लाभ और शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी रिजर्व, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से निर्मित आरक्षित निधियाँ तथा मूल्य ह्रास प्रावधान का प्रतिलेखन शामिल नहीं है।

16 डीटीसी, डीएफसी और डीएससीएफडीसी और डीएसआईआईडीसी की चार सहायक कंपनियां

17 डीटीसी, डीएफसी, डीटीटीडीसी, डीएससीएससी, डीएससीएफडीसी तथा डीएसआईआईडीसी की चार सहायक कंपनियां

18 डीएससीएफडीसी, डीएफसी, डीटीसी, डीएससीएससीएल, डीटीटीडीसी, डीसीएडी, डीएसआईआईडीसी मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड

19 दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली वित्तीय निगम, डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी मेंटेनेंस लिमिटेड तथा डीएसआईआईडीसी क्रिएटिव आर्ट्स लिमिटेड

शेष दो एसपीएसई दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली वित्तीय निगम (डीएफसी) हैं जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने इक्विटी और ऋणों का निवेश किया था।

नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणों के अनुसार सितंबर 2023 तक डीटीसी को ₹ 8,498.35 करोड़ की हानि हुई। इसकी प्राप्तियां मुख्य रूप से यातायात आय, किराया प्राप्ति आदि से थीं, जो इसके परिचालन व्यय (वेतन और भत्ते, ईंधन लागत आदि) के लिए पर्याप्त नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप इसको नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण के अनुसार ₹ 60,741.03 करोड़ की संचित हानि हुई।

संचित हानि से इसका निवल मूल्य पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है तथा 31 मार्च 2023 तक, ₹ 1,983.85 करोड़ के इक्विटी निवेश तथा ₹ 11,676.14 करोड़ के ऋण के प्रति निवल मूल्य (-) ₹ 58,757.18[20] करोड़ था जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया।

डीएफसी को, जिसकी संचित हानि ₹ 39.31 करोड़ थी, इसके सितंबर 2023 के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार ₹ 17.14 करोड़ की हानि हुई। इसका निवल मूल्य संचित हानि के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गया तथा 31 मार्च 2023 को, ₹ 26.60 करोड़ के इक्विटी निवेश तथा ₹ 33 करोड़ के ऋण के प्रति निवल मूल्य (-) ₹ 12.71 करोड़ था जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया।

## 5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) तथा 139(7) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, एक सरकारी कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करता है। सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने तथा वैधानिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी जारी करने या पूरक लेखापरीक्षा का अधिकार है। निगमों को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों के अनुसार उनके वित्तीय विवरणों (एफएस) की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा किया जाना आवश्यक है तथा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट विधानमंडल को प्रस्तुत की जाती है।

---

[20] डीटीसी अपने परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए पूरी तरह से रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त राजस्व अनुदान पर निर्भर है। डीटीसी को 2010-11 से 2022-23 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. से अनुदान के रूप में ₹ 18,911 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

## 5.10 सीएजी द्वारा सरकारी कंपनियों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी के मामले में वैधानिक लेखापरीक्षकों को सीएजी द्वारा वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्त किया जाना चाहिए।

सितंबर 2022 तक सीएजी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सरकारी कंपनियों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई।

## 5.11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

### 5.11.1 वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं के समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कार्यचालन और कार्यों पर एक वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक सामान्य बैठक[21] (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी होती है। ऐसी तैयारी के बाद शीघ्रातिशीघ्र, किसी सरकारी कंपनी के मामले में जहां राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के साथ सदस्य हो, वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सहित और लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर या उसकी पूरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर सीएजी की टिप्पणियों के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वैधानिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियम में समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेशित सार्वजनिक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक करने की आवश्यकता होती है। यह भी बताया गया है कि एक एजीएम की तिथि तथा अगली एजीएम की तिथि के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय रिपोर्ट विवरणी एजीएम में विचार के लिए प्रस्तुत करनी होती है।

---

[21] पहली एजीएम के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी और किसी अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर अर्थात् 30 सितंबर को आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना (जैसे अर्थ दंड और कारावास) लगाने का प्रावधान है।

30 सितंबर 2023 को विभिन्न एसपीएसई के वित्तीय विवरण (एफएस) बकाया थे जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लिखित है।

### 5.11.2 सरकारी कंपनियों द्‌वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2023 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में 16 सरकारी कंपनियां थीं। इनमें से, वर्ष 2022-23 के लिए 16 एसपीएसई से वित्तीय विवरण बकाया थे। हालांकि, केवल एक सरकारी कंपनी[22] ने वर्ष 2022-23 के लिए सीएजी द्‌वारा लेखापरीक्षा के लिए 30 सितंबर 2023 तक अपने वित्तीय विवरण तैयार करके प्रस्तुत किए थे। 30 सितंबर 2023 तक 15 सरकारी कंपनियों के 22 वित्तीय विवरण बकाया थे। अंतिम लेखाओं के अभाव में, ऐसे एसपीएसई में सरकारी निवेश, राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है। सरकारी कंपनियों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकायों का विवरण **तालिका 5.11** में दिया गया है।

**तालिका 5.11: सरकारी कंपनियों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकायों का विवरण**

| विवरण | | सरकारी कंपनियां | लेखाओं की संख्या |
|---|---|---|---|
| कंपनियों की कुल संख्या जिनके लेखे 2022-23 के लिए प्राप्त नहीं हुए | | 16 | 16 |
| कंपनियों की संख्या जिन्होंने सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय विवरण 30 सितंबर 2023 तक तैयार तथा प्रस्तुत किए | | 01[23] | 01 |
| बकाया लेखाओं की संख्या | | 15 | 22 |
| बकाया का ब्योरा | एक वर्ष (2022-23) के लिए बकाया | 10[24] | 10 |
| | दो वर्ष (2021-22 तथा 2022-23) के लिए बकाया | 4[25] | 8 |
| | तीन वर्षों से अधिक के लिए बकाया | 1[26] | 4 |

### 5.11.3 वैधानिक निगमों द्‌वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

दो वैधानिक निगमों (डीएफसी और डीटीसी) की लेखापरीक्षा सीएजी द्‌वारा की जाती है। जबकि डीएफसी ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण

---

22 डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड

23 डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड

24 डीटीटीडीसी, डीटीएल, डीएसआईआईडीसी, डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड, डीसीएडीएल, डीएसआईआईडीसी एमएसएल, जीएसडीएल, डीएससीएससी, डीटीआईडीसी और आईसीएसआईएल

25 एसआरडीसी, डीपीसीएल, आईपीजीसीएल और पीपीसीएल

26 वर्ष 2019-20 से 2022-23 के लिए डीएससीएफडीसी के चार वित्तीय विवरण बकाया थे।

समय से प्रस्तुत किए परंतु वर्ष 2022-23 के लिए डीटीसी के वित्तीय विवरण 30 सितंबर 2023 तक तैयार और प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

## 5.12 सीएजी निरीक्षण - लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा पूरक लेखापरीक्षा

### 5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति के परामर्श से, जिसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग[27] प्राधिकरण का नाम दिया गया है, निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। वैधानिक निगमों को अपने लेखाओं को सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने की आवश्यकता होती है।

### 5.12.2 वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अधीन सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उनपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में वैधानिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी के द्वारा निरीक्षण भूमिका निभाता है जिसका समग्र उद्देश्य यह है कि वैधानिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का उचित और प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्नलिखित शक्तियों के प्रयोग द्वारा किया जाता है।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत वैधानिक लेखापरीक्षकों को दिशानिर्देश जारी करना और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी या परिवर्द्धन करना।

---

[27] 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी

### 5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य संबंधित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार वित्तिय विवरण तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबंधन की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की मानक लेखापरीक्षा पद्धतियों और सीएजी द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी देने के लिए उत्तरदायी हैं। वैधानिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीएजी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं के साथ वैधानिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर, रिपोर्ट की गई, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत वार्षिक सामान्य बैठक में रखी जाएंगी।

## 5.13 सीएजी की निरीक्षण भूमिका का परिणाम

### 5.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2022-23 और पिछले वर्षों के लिए ग्यारह वित्तीय विवरण (एफएस)[28] 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 के दौरान, नौ सरकारी कंपनियों से प्राप्त हुए थे। इनमें से, सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में एसपीएसई के 10 एफएस की समीक्षा की गई और शेष एक एफएस[29] के संबंध में, उसकी समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया गया। सरकारी कंपनियों के इन एफएस पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां लाभप्रदता पर ₹ 98.31 करोड़ और वित्तीय स्थिति-परिसंपतियों/देयताओं पर ₹ 34.69 करोड़ के वित्तीय प्रभाव को इंगित करती हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट 5.4** और **परिशिष्ट 5.5** में दिया गया है।

---

[28] डीटीटीडीसी (2021-22), आईपीजीसीएल (2020-21), पीपीसीएल (2020-21), डीएसआईआईडीसी (2021-22), डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड (2022-23), जीएसडीएल (2021-22), डीएससीएससी (2021-22), डीटीआईडीसी (2021-22), डीएसएफडीसी (2016-17, 2017-18 और 2018-19)

[29] डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड (2022-23)

### 5.13.2 वैधानिक निगम जहां सीएजी एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक है

वैधानिक निगमों के लेखाओं पर सीएजी द्वारा जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जहां सीएजी एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक है, जो लाभप्रदता और परिसंपत्तियों/देयताओं की वित्तीय स्थिति पर ₹ 47.76 करोड़ के वित्तीय प्रभाव को इंगित करती हैं, को **परिशिष्ट 5.6** में उल्लिखित किया गया हैं।

## 5.14 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2023 तक, दो वैधानिक निगमों सहित 18 एसपीएसई थे।
- 2022-23 में आठ लाभ अर्जन करने वाले एसपीएसई द्वारा अर्जित ₹ 1,873.65 करोड़ के कुल लाभ में से 98.46 *प्रतिशत* का योगदान पांच[30] एसपीएसई द्वारा किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले तीन एसपीएसई ने रा.रा.क्षे.दि.स. को लाभांश घोषित/भुगतान किया।
- घाटे में चल रहे नौ एसपीएसई द्वारा किए गए ₹ 8,531.24 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 8,498.35 करोड़ की हानि केवल दिल्ली परिवहन निगम द्वारा की गई थी।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार डीएससीएफडीसी ने अपने वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया और इसके लेखे चार वर्षों से बकाया थे। इसके अलावा, चार सरकारी कंपनियों के 2021-22, 2022-23 के लेखाओं और दस सरकारी कंपनियों के 2022-23 के लेखाओं और एक वैधानिक निगम के 2022-23 के लेखाओं को 30 सितंबर 2023 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।
- 2022-23 के दौरान, एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों का प्रभाव लाभप्रदता तथा परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 180.76 करोड़ की राशि का था।

## 5.15 सिफारिशें

1. राज्य सरकार अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए एसपीएसई के प्रबंधनों पर दबाव डाल सकती है। 16 एसपीएसई के 23 लेखे बकाया थे। अंतिम लेखाओं के अभाव में, ऐसे एसपीएसई में किए गए सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहे।

---

[30] डीएसआईआईडीसी, पीपीसीएल, आईपीजीसीएल, डीटीएल और डीपीसीएल

2. आठ एसपीएसई में से, जिन्होंने नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित किया, केवल तीन एसपीएसई ने लाभांश घोषित किया। सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाले पांच एसपीएसई में से, केवल डीएसआईआईडीसी ने वर्ष 2022-23 में लाभांश की घोषणा की और अन्य चार एसपीएसई, जिन्होंने ₹ 1,700.10 करोड़ का लाभ अर्जित किया, ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया। इन एसपीएसई को रा.रा.क्षे.दि.स. की लाभांश नीति (अगस्त 2021) के अनुसार लाभांश की घोषणा/भुगतान करना चाहिए।
3. राज्य सरकार को उन एसपीएसई की हानि के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए जिनका निवल मूल्य पूर्ण रूप से क्षय हो चुका था तथा इन एसपीएसई के संचालन को जारी रखने का निर्णय लें।

**नई दिल्ली** **(अमन दीप चट्ठा)**

**दिनांक: 17 मई 2024** **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली** **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

**दिनांक: 7 जून 2024** **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**